

बहुत से विभागों में घोर रेलवे में भी नियोग्यता कह करके भेदभाव किया जाता है, क्या मंत्री जी रेल विभाग में यह भेदभाव न हो, ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : इसके लिए मुझे नोटिस दिया जाए ।

श्री उपसेन : बहुत से एप्रेंटिस लोग बेकार रहते हैं, उन्हें बराबर काम नहीं मिलता है । शायद अब मंत्री जी यह विचार कर रहे हैं कि आगे से एप्रेंटिस ट्रेनिंग न दी जाये । मैं यह सवाल करना चाहता हूँ कि जो लोग एबजोव हो नहीं सके, बेकार घूम रहे हैं, क्या उनको बेकारी का भत्ता दिया जाएगा ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह जो एप्रेंटिस का सवाल है वह अलग सवाल है । यह जो जवाब मैंने दिया है वह स्पेशल कैटेगरी के बारे में दिया है । मैं उम्मीद करता था कि आप मुझे रोकेंगे लेकिन गलत सवाल का जवाब तो मैंने दे ही दिया है ।

SHRI SONU SINGH PATIL: What is the speciality of the special class?

PROF. MADHU DANDAVATE: As I pointed out there are two sources from which these engineers and technicians are taken up and they are again to be accommodated against the vacancies that exist and it is being done like that. Because they are drawn from a particular technical and engineering category, special type of an arrangement for special training is done and then they are appointed.

Disparity in the Number of Voters in various Lok Sabha and Assembly Constituencies

*337. SHRI DURGA CHAND: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a great disparity in the number of workers in various Lok Sabha and Assembly constituencies in the country;

(b) if so, what steps are being taken by Government to have uniform pattern in regard to the number of voters in various constituencies;

(c) whether it is a fact that the Lok Sabha and the Assembly constituencies in hilly areas are spread out widely; and

(d) whether it is proposed to put Lok Sabha and Assembly constituencies in hilly areas on a different pattern, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) There is some variation in the average number of electors per parliamentary/assembly constituency from State to State.

(b) The only step which can be taken is to make the enumeration of voters as thorough as possible.

(c) Yes, Sir. Some of the constituencies are widely spread out.

(d) No, Sir.

SHRI DURGA CHAND: I would like to know from the hon. Minister the criteria and norms for delimiting a certain constituency.

SHRI SHANTI BHUSHAN: The Constitution itself provides that the number of parliamentary constituencies which shall be allotted to a State will be in proportion to the population of that State. Here I should make it clear that the population of a State does not merely consist of voters but consists of people who are not voters, who are not of age. But since the distribution of the parliamentary constituencies has to be made on the basis of the total population of the State, it sometimes happens that the number of voters in a State may not

be in the same proportion. Therefore it happens that since a particular number of parliamentary constituencies have to be in a State, the total number of voters has to be divided among that number of constituencies with the result that in some states the average number of voters is more while in some others it is less. Apart from that a constituency has to be a sort of well integrated one and it must not be spread out so that a margin of 10 per cent is kept even in the State for the sake of convenience, etc.

SHRI DURGA CHAND: May I know whether the geographical aspect of the area is also taken into account in delimiting a constituency, because certain constituencies are spread over 300 to 500 KM while certain constituencies are confirmed to a 10 KM radius?

SHRI SHANTI BHUSHAN: Since in the same State the number of voters in each constituency should be roughly the same with minor variations up to 10 per cent if certain areas are sparsely populated, obviously the size of the constituency becomes bigger. This happens particularly in those States where the constituencies are spread out very much because the State is large while the population is not large.

SHRI K. LAKKAPPA: The important aspect is the enumeration of voters. Our experience of both Parliamentary as well as Assembly elections is that most of the voters have not been enumerated properly. The people who go for enumeration are not properly enumerating the voters. Consequently a large number of voters have not been included in the voters list. What steps are the government going to take to see that the enumeration of voters is perfect in this country both for Parliamentary as well as Assembly elections?

SHRI SHANTI BHUSHAN: Full care will be taken to see that the process of enumeration is as best as possible. If there are any suggestions, all those suggestions will be considered and the imperfections will be removed.

श्री कंबर लाल गुप्त : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि दस परसेंट का बेरिएशन होता है लेकिन मंत्री महोदय यह जानते हैं कि एक ही स्टेट में तीस तीस और चालीस चालीस परसेंट का भी बेरिएशन होता है। दस माल के बाद आप डीलिमिटेशन करते हैं और सेंसस रिपोर्ट के आधार पर करते हैं। क्या आप इस बात पर विचार करेंगे कि पांच साल के बाद वोटर्स स्ट्रेंथ के आधार पर डीलिमिटेशन करें न कि सेंसस रिपोर्ट के आधार पर क्योंकि बहुत सी पापुलेशन शिफ्ट हो जाती है और उसके कारण से कई स्थानों पर 40-50 परसेंट का भी डिफरेंस हो जाता है ?

श्री शान्ति भूषण : संविधान में डीलिमिटेशन के लिए प्राविजन किया गया है और उसके लिए एक डीलिमिटेशन कमीशन बैठता है जिसमें कोई एक मुश्रीम कोर्ट जज या रिटायर्ड मुश्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज और चीफ इलैक्शन कमिश्नर मेम्बर होते हैं। यह तीन सदस्यों का डीलिमिटेशन कमीशन इस चीज को देखता है। उस में लोक सभा के सदस्य भी स्पीकर नोमिनेट करते हैं। हर स्टेट एसेम्बली के सदस्य भी होते हैं। यह कमिशन डीलिमिटेशन करता है। इस बात की सावधानी जरूर रख जाती है कि ज्यादा बेरिएशन न हो लेकिन किसी वक्त अगर इलैक्शन के ईब पर लार्ज स्केल पापुलेशन इधर से उधर चली जाती है तो ऐसा हो जाता है।

श्री नाथू सिंह : अब तक जो सरकार सत्ता-रूढ़ रही है उसने हर चुनाव में कांस्टिट्यूएन्सीज को तोड़ मरोड़ कर इस तरह का बनाया ताकि उसको फायदा हो। उसने एक एक पार्लियामेंटरी कांस्टिट्यूएन्सी को मीलों लम्बा बना दिया था और मीलों दूर तक बह फैली हुई हुआ करती थी।

दूसरी को बहुत छोटा बना दिया । उससे यह हुआ कि एक कांस्टीट्यूंसी का बीच का हिस्सा दूसरी में मिल गया और दूसरी कांस्टीट्यूंसी का, हिस्सा दूसरी में मिल गया । तो जो इस तरह की कांस्टीट्यूंसी बन गई हैं उनको सुधारने के लिए जनसंख्या के साथ साथ क्या क्षेत्रफल का भी ध्यान रखा जाएगा ? इस बारे में आप क्या करने की सोच रहे हैं ?

श्री शान्ति भूषण : इसीलिए एकट में डीलिटिमिडेशन कमीशन की व्यवस्था की गई है और उसमें स्पीकर के द्वारा 10 पार्लियामेंट के सदस्यों को एक स्टेट से जिसमें डीलिटिमिडेशन हो, उस स्टेट के 10 सदस्य, जिनको स्पीकर नोमिनेट करे, वह भी उसमें शामिल हों और प्रेसिडेंट के सदस्य भी जिनको स्पीकर नोमिनेट करे वह शामिल हों और वह लोग डीलिटिमिडेशन करते हैं । तो हर बात का ध्यान रखा जाता है ।

PROF. P.G. MAVALANKAR: The Minister did admit that there has a great disparity between the Lok Sabha and Assembly constituencies as regards the number of voters. Even among the Lok Sabha constituencies there is a tremendous gap between one constituency and another in terms of voters. For example, in my own constituency of Gandhinagar in Gujarat mine is the largest with nearly 620,000 voters and in others the number was near about five-and-a-half lakhs. So the margin was 70,000 voters. Then, about 25000 voters were not enlisted because of population changes. Will the Minister look into the question by asking the Election Commission to have an effective, regular, periodic check of voters so that these anomalies or disparities are brought to the minimum?

श्री शान्ति भूषण : इलेक्शन कमीशन से अगर कोई इस तरह की शिकायत होगी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि 60, 70 हजार का फर्क है, मैंने पहले ही कहा

था कि 10 परसेंट की मार्जिन इस बात के लिए रखी जाती है, 6 लाख के ऊपर 60 हजार का फर्क 10 परसेंट ही हुआ, कि जिससे कनवीनिएंट हो कांस्टीट्यूंसी। सिर्फ उसमें एक नम्बर सी बिल्कुल यूनीफार्म हो जाय उसके लिये अगर इनकनवीनिएंट हो जाय डीलिटिमिडेशन तो वह नहीं किया जाता है । लेकिन अगर इसमें इस तरह की परेशानी है तो इलेक्शन कमीशन का ध्यान खींचा जाएगा ।

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: It appears that the present position is not in accordance with the provisions of the Constitution. Article 81(2) of the Constitution lays down that the number of seats and the population will bear a certain ratio which will be uniform throughout the country. That is the constitutional position. In some constituency at the present moment if the voters' strength is one, in another it is three, i.e., three times the voters' strength. How does the hon. Minister think that this position can continue in accordance with the provisions of the Constitution? May I know whether there is any idea to come forward with proposals so that this disparity is removed?

SHRI SHANTI BHUSHAN: As I said, so far as the large States are concerned, the constitutional provision to which reference has been made by the hon. Member is that that depends on the total population of the State and not the number of voters in the State. There can be a difference, namely, that a higher percentage of population in one State may be voters and a lower percentage of population in another State may be voters so that that counts for some difference in the number of voters between one State and another. There is a special provision so far as Union Territories etc. are concerned because there a provision has to be made. If a single Union Territory is very small with very small population, even then one parliamentary consti-

tuency has to be provided with the result that it may have a very little voters' strength.

SHRI VINODBHAI B. SHETH: 'Thousands of voters from the middle class families had not been enlisted. Was it not the result of the concerted move by the previous Government? Is the overnment thinking of simplifying the procedure so that the voters could get their names included?'

SHRI VINODBHAI B. SHETH: before an election a notification is published for making any corrections needed in the voters' list, so that any person who feels that his name has not been included, etc. can make an application; and that application is dealt with. If there are a large number of omissions on account of people having gone over etc., if they make applications, they are dealt with accordingly.

SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: At present, polling booths are installed on the basis of population and the number of voters in an area. But in certain hilly areas which are sparsely populated, the distance between the polling booths and residences is too much, and the people have to walk for miles and miles. As a result, people are not able to go and vote. Is government thinking of some arrangement to meet this, so that people can vote easily, without having to walk for 10 or 15 miles?

SHRI SHANTI BHUSHAN: Efforts have been made earlier also to provide booths in such locations, so that voters are not put to too much difficulty. But if there are still complaints from some places, certainly, attention will be given to them.

श्री राम कंबर बेरबा : जो पोलिंग बूथ और निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाते हैं क्या मंत्री महोदय ने कभी ख्याल किया है कि उन में पक्षपात बरता जाता है। जैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र से हमेशा

अपोजिशन का मेम्बर आता था, अब उस निर्वाचन क्षेत्र को बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना दिया गया है। मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि डीलिटिमेंशन कमेटी में लोक सभा और विधान सभा के मेम्बर बैठते हैं लेकिन हम ने जो सुझाव दिया, उन्होंने नहीं माना। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में 8 विधान सभा के क्षेत्र हैं, और उन में दो वर्तमान मंत्री आ गये। वहां से हरिजन का जीतना मुश्किल हो जाता है। क्या मंत्री महोदय ने इस तरह की कोई देखरेख की है कि यह ठीक हो और आगे कोई द्वेषपूर्ण बात न हो ?

श्री शान्ति भूषण : अगर पहले कभी कोई ऐसा पक्षपात का कार्य हुआ हो, तो मुझे उस की जानकारी नहीं है, अगर मुझे कोई नोटिस दिया जायेगा तो जानकारी हासिल करूंगा। लेकिन कोई ऐसा काम अगे न हो, इस के लिये सावधानी बरती जायेगी।

श्री मनोहर लाल : हिन्दुस्तान में जब से प्रजातंत्र का जन्म हुआ है और जब से चुनाव हो रहे हैं तभी से कुछ प्रान्तों में ऐसा हो रहा है कि कुछ कांस्टीट्यूएन्सी बराबर रिजर्व चली आ रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस के कोई राजनीतिक कारण रहे हैं या सरकार की ऐसी कोई प्रक्रिया है जिस के अनुसार क्षेत्रों का विचार होता है ?

श्री शान्ति भूषण : रिजर्व्ड कांस्टीट्यूएन्सी के बारे में नीति यह है कि किसी भी प्रदेश में एक जगह सारी सीटें इकट्ठी न हों, इस तरह से बटें और दूसरे यह कि ऐसे एरियाज में रिजर्वेशन दिया जाये जहां कि अन्य जगहों के मुकाबले से हरिजनों और ऐसी जातियों के लोगों की संख्या ज्यादा हो। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह देखा जाता है।

SHRI P. RAJAGOPAL NAIDU: Is government aware that voters belonging to one booth are attached to another booth in an area? If so, will government correct this?

MR. SPEAKER: They will be corrected automatically, if they are brought to notice. I do not know whether Parliament should come into the picture. Due to some mistake somewhere, villages enumerated in, say village 'X' may be attached to village 'Y'.

श्री शिवनारायण सरसूनिया : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि डी-लिमिटेशन की जो बात है इसमें ग्राहिस्ता ग्राहिस्ता सुरक्षित क्षेत्र कम किये जा रहे हैं जैसे कि अभी एक सीट कम हो गई है। अनुसूचित जातियों की संख्या बढ़नी जा रही है, लेकिन इन की सीटें कम होती जा रही हैं। क्या मंत्री महोदय इस की ओर ध्यान देंगे कि ये कम न हों ?

श्री शान्ति भूषण : मैं नहीं समझता कि सीटें कम हुई होंगी। लेकिन अगर वे इधर से उधर हो गई हो तो वह दूसरी बात है। अगर मानीय सदस्य नोटिस दें तो मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करूंगा।

श्री शिवनारायण सरसूनिया : लोक सभा में 86 से 85 हो गई हैं।

श्री सानु कुमार शास्त्री : जिन मत-दाताओं के नाम दर्ज होने से छूट जाते हैं उन के लिये यह प्रावधान किया गया है कि वे एप्लिकेशन दें और उस के आधार पर उन के नाम दर्ज हो जायेंगे। ऐसे अने क्षेत्र हैं, जहां कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है। उदाहरण के लिये मेरे क्षेत्र में दस लाख आदिवासी हैं और उन में कोई पढ़ा लिखा नहीं है। इस

का मतलब यह हुआ कि न तो कोई एप्लिकेशन देगा और न बोटिंग लिस्ट में नाम एन्टर होगा। क्या सरकार अपनी ओर से कोई ऐसी व्यवस्था करेगी, जिसके अनुसार ऐसे क्षेत्रों में यह जांच की जाय कि कितने लोगों के नाम छूट गये हैं और उन्हें बोटिंग लिस्ट में दर्ज कर दिया जाय ?

श्री शान्ति भूषण : समय समय पर चुनाव आयोग स्वयं इस तरह का सर्वेक्षण करता है, जिस के आधार पर बोटिंग लिस्ट में सुधार किया जाता है। दूसरा नोटिस इस लिये इश्यू किया जाता है कि अगर फिर भी कोई गलती रह गई हो तो हर एक को यह अवसर मिल जाये कि वह अपना नाम दर्ज करा लें, वना चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है कि वह समय समय पर बोटिंग लिस्ट को रिवाइज करता रहे।

श्री राजे विश्वेश्वर राव : आदिवासियों के लिये एरिया रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है शिद्यूल्ड एरियाज को खत्म कर दिया गया है, और इसलिये आदिवासियों की संख्या ज्यादा हो गई है। इसलिये क्या उन के सीटें बढ़ायें जायेंगे या नहीं ?

श्री शान्ति भूषण : जहां तक रिजर्व्ड सीट्स का संबंध है, वे तो संविधान और ना से रेगुलेटिड हैं। मैं नहीं समझता कि उम के अनुसार सीटें नहीं रखी गई हैं। अगर मेरा ध्यान आकर्षित किया जायेगा कि कहीं गलती हुई है, तो जरूर उम पर ध्यान दिया जायेगा।

श्री रामलाल राही : इस में संदेह नहीं है कि संवैधानिक रूप से जो लोग मत दे सकते हैं मतदाता सूचियों में उन में से बहुतों के काम नहीं होते हैं और इस

लिये वे मत नहीं दे पाते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि रेवेन्यू विभाग के लोगों द्वारा मतदाता सूचियाँ तैयार की जाती हैं। रेवेन्यू विभाग एक प्रकार से रामबाण हो गया है—हर काम पटवारी आदि से कराया जाता है। क्या सरकार कोई ऐसी मशीनरी स्थापित करेगी कि अगर मतदाता सूची में कोई गलती रह जाये, या लोगों के नाम उस में न आयें, तो जो प्राधिकारी उस के लिये उत्तरदायी हो, उस के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये ?

श्री शान्ति भूषण : चुनाव आयोग का यह कर्तव्य है और चुनाव आयोग उस को करता है। वह जिम मशीनरी को मंत्र ने ज्यादा उपयोगी और प्रैक्टिकल समझता है, उस को उपयोग में ला कर वह काम करता है। अगर किसी कर्मचारी की त्रुटि में किसी का नाम रह जाये, और यह मालूम हो कि उस कर्मचारी ने जान बूझ कर गलत काम किया है, तो जरूर उस के खिलाफ एक्शन लिया जायेगा।

SHRI L. K. DOLEY: It has been our experience that the size of the constituencies is in accordance with the pattern of the population, its density etc. In an area where the density of population is large, the constituency is smaller, and in areas where there is no such density, the constituency is unnecessarily big and unwieldy. The candidates will have to go to those areas which means bigger expenditure and some of the areas are also inaccessible. In that case, enormous efforts have to be made so far as finance is concerned. So, in view of the variation in the size of the constituencies, is Government ready to consider some relaxation in the matter of the financial aspect of the elections?

SHRI SHANTI BHUSHAN: The question of financial aspect of the elections can be considered at the time

when the proposal for electoral reforms is gone into. At that time all the parties would be consulted, and whatever is possible will be done.

डा० सुशीला नाबर : हर चुनाव में यह देखा जाता है कि हजारों हजार वोटर हर कांस्टीट्यूएंसि में रह जाते हैं। हर एक चुनाव से पहले पूरी वोटर लिस्ट दोबारा बनाई जाती है। इस चुनाव में कुछ दुरुस्त कारबायी जो नाम छूटे थे लिस्ट में डाले गये। पहले चुनाव में दूम्ने एरिया में और नाम निकाल कर फेंक देते हैं। बहुत दफा घर बैठे वोटर लिस्ट बनाई जाती है। तो क्या मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे कि परमानेंट वोटर लिस्ट हो और उसमें चुनाव से पहले इतना ही परिवर्तन किया जाए कि जो मर गए या छान्ड कर कही और चले गए उनका नाम निकाल दिया जाय और जो पूरी उम्र में वोटर बन गये उनको उसमें डाल दिया जाय ? आज क्या होता है कि बीस बीस साल से वोटर जो हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं। पिछले लोक सभा में चुनाव में वोटर थे, अभी लोकल बाडी में चुनाव में उनका नाम गायब हो गए। तो इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी में साथ लगा हुआ मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि इंग्लैंड वगैरह दूसरे देशों में परमानेंट कांस्टीट्यूएंसिज हैं। यहां पर हर वक्त डिलिमिटेशन करते रहते हैं। जिस उम्मीदवार की अप्रोच है, उसको अगर ऐसा लगता है कि यह हिस्सा उसके खिलाफ पड़ता है तो उसको कटवा कर वह दूसरे में साथ लगवा देता है। यदि परमानेंट कांस्टीट्यूएंसि का आधार रखा जाय जैसे कुछ और देशों में है तो यह गड़बड़ नहीं रहेगी। क्या इस विषय पर भी मंत्री महोदय विचार करेंगे ?

श्री शान्ति भूषण : परमानेंट वोटर्स लिस्ट तो इसलिए नहीं हो सकती कि गये

नये बोटर्स घाते रहेंगे और पुराने मरते रहेंगे कुछ बोटर्स एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते रहेंगे, इसलिए परमानेंट बोटर्स लिस्ट तो नहीं हो सकती। बाकी पिछली बोटर्स लिस्ट को ध्यान में रखा जाय नयी लिस्ट बनाते समय इसका जहां तक संबंध है पिछली बोटर्स लिस्ट तो चुनाव आयोग के सामने और संबंधित अधिकारियों के सामने रहती ही है।

जहां तक परमानेंट डिनिमिटेशन का संबंध है उस में भी क्योंकि पापुलेशन बदलती रहती है कहीं पर नया उद्योग लग जाता है तो वहां बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और क्यों कि पापुलेशन का आधार एक मेजर आधार है इसलिए बिलकुल परमानेंटनी यहां पर यह पासिबल नहीं है। समय समय पर इसे बदलना पड़ता है।

SHRI G. S. REDDI: Is it not possible to arrange mobile polling booths in order to avoid people walking?

SHRI SHANTI BHUSHAN: I will bring to the notice of the hon. Member that walking is a healthy exercise but, at the same time, full attention will be given to his suggestion.

SHRI CHARAN NARZARY: Normally the Scheduled Tribes people live in compact areas. But what we have seen for the last thirty years is that the Scheduled Tribes constituencies are delimited in such a manner that non-tribals in the tribal reserved constituencies are made into a majority and that is the reason why, proper representation has not been ensured to the Scheduled Tribes. What the relevant law says in this regard and whether the Government is considering or thinking of taking positive steps to delimit reserved constituencies for Scheduled Tribes in future in such a manner that the Tribals constitute a majority in all the Scheduled Tribes constituencies.

SHRI SHANTI BHUSHAN: Since constituencies have to be in a geogra-

phically compact unit and if there is any geographical area in which tribals constitute a majority, then, of course, it may be possible to have a constituency in which the tribals by themselves will have a majority. But otherwise, if in a geographical unit they are in such numbers that by themselves they would be in a majority, then this situation cannot be helped.

श्री हुकम देव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय: मतदानाग्राओं के पास कोई पहचान-पत्र न होने के कारण मतदान केन्द्र में जानी मतदान की सम्भावना बनी रहती है। क्या इसको रोकने के लिए हर मतदाता को पहचान-पत्र (आइडेन्टिटी कार्ड) जैसा हम लोगों का फोटो वाला दिया गया है उसी तरह का फोटो के साथ मतदानाग्राओं को भी दिया जायगा जिसमें उनकी मतदाता सूची की क्रम संख्या तथा पोलिंग बूथ का नम्बर दिया हुआ हो तथा जब तक वे जिन्दा रहें उनकी संख्या तथा पोलिंग बूथ का नम्बर न बदला जाय ताकि वे हर दफा वहां जाकर अपना मत दे सकें ?

श्री शान्ति भूषण : माननीय सदस्य का मुझसे बहुत अच्छा है लेकिन जब भारतवर्ष बहुत अमीर देश हो जायगा जो कि कुछ दिन बाद जरूर हो जायेगा तब इस मुझाव पर विचार किया जा सकता है। लेकिन अभी तो इस पर इतना खर्चा आयगा जिसका प्रभाव गरीबों पर पड़ेगा जिसको वे सहन नहीं कर सकेंगे।

श्री चन्ना सिंह गुलशन : आपकी मालूम होगा कि कई रिजर्व हल्के 15-15 साल तक रिजर्व रहते हैं जिसकी वजह से उस क्षेत्र के सर्वर्ण-जाति के लोग मायूस हो जाते हैं क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता कि वे सर्वर्ण जाति के नुमायन्दे की चुन सकें ?

श्री शान्ति भूषण : उनको मौका मिल जाता है इस लिये कि वे किसी भी क्षेत्र से खड़े हो सकते हैं। वे किसी भी क्षेत्र के मतदाताओं से दोस्ती बढ़ा सकते हैं और वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिये कोई आवश्यकता नहीं है कि सुरक्षित कांस्टीट्यूएन्सी का उद्धार बदला जाय।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय डोलिमिटेशन का रोसम हर दस साल में पूरा होता है और जैसा अभी शिकायतें आई हैं उसको पोलिटिकल आघार पर या उनकी कन्वीनियंस के आघार पर बनाया जाता है। क्या मंत्री महोदय इन बातों को ध्यान में रखते हुए डोलिमिटेशन का काम पांच सालों में पूरा हो जाय—ऐसी कोई व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे ?

श्री शान्ति भूषण : डोलिमिटेशन में दस साल लगते हैं ऐसी बात नहीं है। 1972 में डोलिमिटेशन का कानून बना और उसके बाद डोलिमिटेशन आयोग बन गया और उसने कार्यवाही करके डोलिमिटेशन का काम कर दिया। अब संविधान में ऐसा संशोधन हो गया है कि सन् 2000 के बाद संसद के आघार पर कांस्टीट्यूएन्सी को बदला जायगा।

SHRI AMAR ROY PRADHAN: There are some areas namely Indian enclaves, in the province of West Bengal, the district of Cooch Behar, where there is no arrangement of enumeration and in the last few elections, the people of those areas were not able to participate in the elections. My question is: What steps have been taken by the Government to have enumeration of those people and help them to participate in the elections.

SHRI SHANTI BHUSHAN: If the the hon. Member will send me a

specifics question in detail about the matter, it will be examined.

श्री शिवनारायण : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो यह रिटर्निंग अफसर के यहां नाम दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशंस दी जाती हैं और उन पर कार्यवाही नहीं होती, और यह जो पचास-पचास मील लम्बी कांस्टीट्यूएन्सीज होती हैं जिनमें आने जाने में दिक्कत होती है, क्या आप चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए कोई ऐसा ढांचा बनायेंगे जिसमें ये दिक्कतें न हों ?

श्री शान्ति भूषण : जैसा मैंने कहा, कानून में तो हर चीज के लिए व्यवस्था है। अगर हरेक प्रादमी ठीक ढंग से अपना काम करे और अपना पूरा ध्यान दे तो ये सब चीजें न हों।

MR. SPEAKER: Now we shall take up SNQ No. 11.

SHRI SAUGATA ROY: On a point of order. We have already seen the reply of the Minister to this question. He said that the Son-in-law of Shri Gokhale was not present. Now I would like to draw your attention to Rule 54(2). It says, "If the Minister concerned agrees to reply, such question shall be answered on a day to be indicated by him." Now you see part (c) of the reply of the hon. Minister. It says, "Does not arise." The question is that the Minister himself decides about it. How is it that it has come as a short Notice Question and is taking the time of the House?

SHRI C. K. CHANDRAPPA: The point is, as far as its admissibility is concerned, it is your prerogative. After you have asked the Minister whether he is in a position to answer that, only then it can be considered. What happened in the last week was that a question was asked on the edible oil. There was an ordinary Short Notice Question on the same day on that subject. So, the Short Notice

Question was also allowed. Sir, here the question is that it is a trivial matter. The Minister should have told you that this could not be treated as a Short Notice Question.

MR. SPEAKER: He may consider it as a very trivial matter but the Member considers it as a very important matter. Therefore, we should not impose our opinion on anybody. Now the Member has asked a question, the hon. Minister will have to answer it. Kindly hear him.

(Interruptions)

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: We are sending notices regarding these questions, but they do not admit them.

SHRI SHANTI BHUSHAN: May I say, with your permission, a few words about it. You have said that when the hon. Member attaches importance to a question, that question is sent to the Minister to find out whether he is in a position to answer that question. If he is in a position to answer that question, whatever may be the reply, it becomes the duty of the Minister to say that he is in a position to answer that question.

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Do not convert Question Hour into a point of law. Now Short Notice Question.

SHORT NOTICE QUESTION

Meetings of Company Law Board at Bombay

SNQ 11. PROF. R. K. AMIN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Company Law Board held its meetings in Bombay during the months of January and February, 1977;

(b) if so, how many sittings were held and whether the son-in-law of the Ex-Minister of Law, Mr. Gokhale appeared as Counsel for several companies; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) Yes, Sir.

(b) Five sittings of the Company Law Board Bench were held in Bombay in January, 1977 and five sittings in February, 1977.

None of the sons-in-law of the Ex-Minister of Law, Justice and Company Affairs, Shri H. R. Gokhale, appeared in any of these cases heard in these sittings.

(c) Does not arise.

PROF. R. K. AMIN: This is exactly the case in which there is something fishy. Generally, the Company Law Board's meetings are never held outside Delhi; they are held in Delhi. Generally, they are not in a position to hold five sittings in a month. Moreover these meetings were held soon after the Lok Sabha was dissolved after 17th of January. Only during those two months, major decisions were taken by the Company Law Board. When it was a caretaker Government, can it take such important decisions and so soon and so rapidly during those two months. I would put these facts with the other facts, the Law Minister was contesting the election.....

MR. SPEAKER: That is not part of the Question.

PROF. R. K. AMIN: These facts go together. When he knew that he was to spend a considerable amount of money in the elections....

MR. SPEAKER: No, please. Ask your question.

PROF. R. K. AMIN: I want to know whether it is a practice to hold so many meetings of the Company Law Board during one month; secondly, whether it is so very necessary to hold them outside Delhi and whether this has been done before; and thirdly